राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

आ दे श

रामावतार बनाम् राजस्थान राज्य।

(एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-8249/2009)

30.10.2009

मानननीय न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा

श्री उदयभान सिंह, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।

श्री प्रदीप श्रीमाल, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

प्रार्थी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-439 के अन्तर्गत यह जमानत का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी श्री उदयभान सिंह इस जमानत प्रार्थना पत्र को इस स्वतंत्रता के साथ वापिस लेना चाहते हैं कि वह प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षीगण के कथन लेखबद्ध हो जाने के उपरान्त पुन: जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।

लोक अभियोजक ने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना का विरोध किया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया।

पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन किया गया।

प्रकरण के तथ्य एवं परस्थितियों यह जमानत का प्रार्थना पत्र वापिस लिए जाने के आधार पर निरस्त किया जाता है, किन्तु प्रार्थी को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षीगण के कथान लेखबद्ध हो जाने के उपरान्त विचारण न्यायालय के समक्ष जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। यदि उक्त प्रक्रम पर प्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष कोई जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो विचारण न्यायालय प्रार्थी के जमानत प्रार्थना पत्र का पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुसार निस्तारण करेगा।

(न्या. महेश चन्द्र शर्मा)

एमसीएस.